



3263

श्री अशोक कुमार अधिवक्ता
 13 DECEMBER
 अधिवक्ता, कायदा

सीता



किस्म दस्तावेज - बेनामा
 खरीद कीमत - 27, 50, 000/- रुपया।
 स्टाम्प अंदा - 50, 000/- रुपया।
 पाके - ग्राम ककरेठा तहसील व जिला आगरा में स्थित है विक्रीत आराजी
 मुख्य मार्ग से एक किलो मीटर से भी अधिक दुरी पर स्थित है जितके विक्रय
 से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(1) का उल्लंघन नहीं
 हो रहा है।

सीता देवी _____

Bansari Lal
सचिव

श्री अशोक कुमार अधिवक्ता

ATTESTED

ASHOK KUMAR
 (Advocate)
 Distt. Notary, Agra



3262

/2/

हम कि श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री वीरपाल सिंह निवासी ग्राम मोहन नगर नगला रामबल तहसील व जिला आगरा वैधियत मुक्तारजाम मिन पानिव श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नी श्री राकेश कुमार गुप्ता निवासी नगला धानी तहसील फ़ोहाबाद जिला आगरा पंजीकृत मुक्तारनामा दिनांक - 04-04-2003 ई0 प्लिका पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्टार आगरा के वहाँ पर वही नम्बर 4 जिल्ड 845 के पृष्ठ 185/190 पर कुम संख्या 251 दि0 04-04-2003 ई0 को पंजीकृत है जो कि आज तक कायम व बरकरार है तथा वही पर खण्डा व बेअसर नही हुआ है जिसकी बाबत मुझ प्रथमपक्ष को समस्त प्रकार के अधिकार विक्रय आदि के प्राप्त है व डॉ० श्री नरायण गुप्ता पुत्र श्री तोताराम निवासी राजपुत मोहल्ला फ़ोहाबाद तहसील, जिला आगरा
----- प्रथमपक्ष विक्रेता।

सीता देवी

श्री बाबूजी सरस्वती बाबाजी समिदिदि,
आगरा

ATTESTED

ASHISH KUMAR
(Witness)



2261

/3/

श्री बालाजी सहकारी आवात समिति लि० आगरा पंजीकरण संख्या
1213 दि० 13-05-88 ई० वैधित्यत सचिव श्री बनवारी लाल पुत्र
श्री रोशन लाल निवासी ग्राम कडरेठा तहसील व जिला आगरा।
— ड्रेता समिति, द्विती वषध।

जो कि आराजी वाके ग्राम कडरेठा तहसील व जिला
आगरा खाता खौनी के मुताबिक खाता क्रमांक 91 व खतरा संख्या
183 व रकवा 0.092 हेक्टेयर व खतरा संख्या 184 व रकवा =
0.081 हेक्टेयर व खतरा संख्या 270 व रकवा 0.219 हेक्टेयर
व खतरा संख्या 271 व रकवा 0.242 हेक्टेयर कुल किता वार कुल
रकवा 0.634 हेक्टेयर जिसकी माल गुजारी 8 ल्यया तालाना है।
जो कि तन 1414 फतली ते तन 1411 फतली तक जो संक्रमणीय
भूमिधरी है, के मै प्रथमवध व नामवुर्दा मौतुफा श्रीमती नीलम गुप्ता

सीता देवी



आगरा
Bansari

ATTESTED

ASHOK KUMAR
(Advocate)
Distt. Notary, Agra

4216



/4/

उपरोक्त व विक्रेता मुकदमा नम्बर दो डॉ श्री नरायण गुप्ता उपरोक्त स्वयं विक्रीत आराजी के एक मात्र मालिक काविज व दखिा गले आते है और विक्रीत आराजी की बाबत हमारा ही नाम वहेलियत संक्रमणीय भूमिधरी के कागजात खतौनी मे दर्ज गला आता है जितमें तियाव हमारे अन्य कोई टीगर हकदार व हिल्लेदार वगैरा कित्ती प्रकार का नही है। जो कि माने कित्ती प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे और विक्रीत आराजी हमारी तरफ से हर प्रकार के कर्जे, जेर, जमानत, नीलामी, रहन, वैय, हिवै, व हर प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों वगैरा से कतई तौर पर पाक व ताफ है, अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर या साबित हो तो प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौलुफ नतायज कानूनी के जिम्मेदार होंगे।

मुकदमा यह कि विक्रेता मुकदमा नम्बर दो डॉ श्री नरायण गुप्ता ने उपरोक्त आराजी को बजाए एक कित्ता बेनामा नचिगता सत्यदेव गुप्ता पुत्र श्री रामखिलाडी गुप्ता निवासी सेक्टर 16 सिकन्दरा तहसील व जिला आगरा से दि० 04-04-03 ई० को क़य किया था।

श्रीला देवी



Bomkari Lal

ATTESTED

ASHOK KUMAR
(Advocate)

Dist. Notary, Agra



4215

15/

लिहाजा मुझ मुकिरा को वहैतियत मुह्तारेआम के र्व मुकिर नम्बर दो
 डॉ० श्रीनरायन गुप्ता स्वय को विक्रीत आराजी का विक्रय करना
 वास्ते जरूरत अपनी अपनी के त्वीकार है, लिहाजा हम मुकिरान खूब सोच
 व समझकर बिल्ला बह्काये व तिखाये व बिल्ला दवाब किसी नावायज के न
 खाये पीये किसी माटक पटार्थ के पूर्ण होश ब्वाश के साथ विक्रीत आराजी
 का विक्रय समस्त हक व हकुक के साथ बिल रवज मु० 27, 50, 000/- सत्ताईस
 लाख पचास हजार रुपया कि आपे जिसके मुकीलग- 13, 75, 000/- तेरह
 लाख पचत्तर हजार रुपया होते है मे बदस्त श्री बालाजी सहकारी आवास
 समिति लि० आगरा पंजीकरण संख्या 1213 दि० 13-05-88 ई० वहैतियत
 सयिव श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रोशन लाल निवासी ग्राम ककरेठा तहसील
 व जिला आगरा जेता समिति को वैय कतई की और बेच टी और कीमत

सीता देवी



Bambauri Lal

ATTESTED

 ASHOK KUMAR
 (Advocate)
 Distt. Notary, Agra



4214



/6/

का कुल रूपया इस प्रकार प्राप्त किया कि मुचलिंग 50,000/- पचास हजार रूपया नोटरीईज इकरारनामा दि० 18-05-2004 ई० का प्रथमपक्ष विक्रेता मुकदर नम्बर एक ने वहेसियत मुख्तारेआम के प्राप्त किया व मुचलिंग- 17, 83, 333/- सत्रह लाख तिराती हजार तीन सौ तैंतीस रूपया बजरिस पैक नम्बरी 001119 दि० 16-12-2005 ई० द्वारा उत्तर प्रदेश कोपरेटीव बैंक लि० शाखा बेलनगंज शहर आगरा का प्राप्त किया व मुचलिंग- 6, 00, 000/- छःलाख रूपया बजरिस पैक नम्बरी 001112 दि० 16-11-2005 ई० द्वारा उत्तर प्रदेश - कोपरेटीव बैंक लि० शाखा बेलनगंज शहर आगरा के द्वारा मुकदर नम्बर दो विक्रेता, ने प्राप्त कर लिया है व मुचलिंग 3, 16, 700/- तीन लाख सोलह हजार सात सौ रूपया बजरिस पैक नम्बरी 001113 दिनांक - 13-12-2005 ई० द्वारा उत्तर प्रदेश कोपरेटीव बैंक लि० शाखा बेलनगंज शहर आगरा का पैक मुकदर नम्बर दो ने प्राप्त कर लिया है।

सीता देवी



Bombari Jal

ATTESTED

ASHOK KUMAR
(Advocate)

Dist. Panchganga



3343

111

इस प्रकार कीमत का कुल ल्यया मुदतिम- 27, 50, 000/- सत्ताईस लाख पचास हजार ल्यया प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौसुफा ने प्राप्त कर लिया है, अब बाकत कीमत कुछ पाना या लेना बाकी नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। लिहाजा मौके पर विक्रीत आराजी पर कब्जा व टक्का क्रेता समिति का करा दिया और मालिक व मुस्तफिल बना दिया अब क्रेता समिति को हक व अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी से वहैसियत मालिकाना फायदा उठावे तथा वक्त जरूरत पड़े पर चाहे जिस टीगर व्यक्ति से उसका रहन वैय हिवे आदि जो चाहे सो करे उज्र न होगा। क्रेता समिति अपने नाम का नामांकन सरकारी विभाग में जरिये बैनामा हाजा दर्ज करा लेवे जिसमे प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौसुफा अपनी अपनी पूर्ण रजामन्दी प्रदान करते है, यदि भविष्य में कोई कोमी या खानदानी या नीज या हमारा कोई वारित किसी प्रकार का किकालतदार पैदा होकर क्रेता समिति से

की शर्तों के अनुसार शर्तों के अनुसार

सीला देवी



Zamboni dal



ATTESTED

ASHOK KUMAR
(Advocate)
Distt. Ncracy, Agra



3260

/8/

किसी प्रकार का वाद विवाद या झगडा उत्पन्न करता है या जिसकी वजह से या किसी टीगर वजह से क्रेता समिति को विक्रीत आराजी का जुज या कुल भाग निकल जावे या किसी को कुछ खपया मीदा या देना पड़े वा बेनामा हाजा में कोई कानूनी कमी पायी जावे तो ऐसी तमाम सुरती में उसकी समस्त अदायगी मय सूट खर्च व खर्च व लागत आयन्दा मुझ प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौसुफा व वारिसान हमारों की होगी तथा ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता समिति को हक व अधिकार होगा कि वह अपना जरे समन मुझ प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौसुफा व वारिसान हमारों से पाड़े जिस प्रकार वरूल कर ले जिसमे प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौसुफा व वारिसान हमारों को कोई उज्र व स्तराज नही होगा। तथा विक्रीत आराजी पर खी हो रही है और दोनो पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नही है और दोनो पक्षों के पास सम्पूर्ण भारतवर्ष में साढे बारह स्कंद से अधिक भूमि नही है।

सी ला देवी

को पति के रूप में...

Bambori Lal

ATTESTED

ASHOK KUMAR
(Advocate)

...



3259

191

मुकदमा यह है कि उक्त आराजी जी बाबत स्कनोटरीज इकरारनामा मुआहिदावैय प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितीयपक्ष से दि० 18-05-2004

ई० को मुवलिंग 10,00,000/- दस लाख रुपया प्रति बीघा के हिसाब से तय व पक्का किया था जिसमे नामवुर्दा मौसूम ने वहैतियत मुख्तारनाम के मुवलिंग 50,000/- पचास हजार रुपया नोटरीज इकरारनामा के द्वारा प्राप्त किये थे।

विक्रीत आराजी मजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और सी लिंग विभाग द्वारा अधिसूचित नहीं की गयी है और विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का मुआवजा आदि नहीं लिया गया है तथा विक्रीत आराजी का विक्रय गुडटाईजल की गारण्टी के साथ किया जा रहा है तथा कर्जा बेनामा हाजा क्रेता समिति ने छुट वहन किया है।

सविता देवी

Bambani Dal

ATTESTED

ASHOK KUMAR
(Advocate)
Distt. Notary, Agra



3258

/10/

लिहाजा यह बैनामा हस्त निर्देश पक्षकारान के लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 16-12-2005 ई0 व मसौदा वीरेन्द्र सिंह यादवेन्दु सक्कोकेट व टायप वाई मोहित कुमार तदर तहसील आगरा।

सीता देवी -

Santeridial



[Handwritten signature]

अवध - सुभाष जैन सी0पी0 अंबालाल जैन
सि0 9.LIC मलानी जैलाना कोड कागरा



[Handwritten signature]

अवध - श्रीमती नीलम मुखरपाठ शक्ति कुमार गुप्ता
सि0 मलानी जैलाना तहसील आगरा (बि012)

[Handwritten signature] Neelam Gupta




ATTESTED
ASHOK KUMAR
(Advocate)
Distt. Notary, Agra

नमशा नजरी आराजी खाला न०११ वाकें ग्राम ककरैल तहसील व जिला आगरा

खसरा संख्या 183	रकबा 0.092	हैक्टेमर
खसरा संख्या 184	रकबा 0.081	हैक्टेमर
खसरा संख्या 270	रकबा 0.219	हैक्टेमर
खसरा संख्या 271	रकबा 0.42	हैक्टेमर
कुल कित्ता चार	कुल रकबा	0.634 हैक्टेमर

बिक्रेता श्री मती सीता देवी व डा० श्री नारायण गुप्ता
 क्रेता :- श्री बाबाजी सहकारी आवास समिति लि० आगरा
 द्वारा सायबजी पंचवारी लाग



Bombardier

सीता देवी

Key

PRACENBY
S. Karmave

ATTESTED

ASHOK KUMAR
(Advocate)
Dist. Haryana, Agra

4

47A(2)

16578

1000Rs. 5



जगदीश उर्फ जगदीश वाटव पुत्र स्व० श्री आदिराम निवासी मौजा
 ककरेठा मुस्ताफिल तहसील व जिला आगरा का हूँ ।

वैशिव

मैं कि जगदीश उर्फ जगदीश वाटव पुत्र स्व० श्री आदिराम निवासी मौजा ककरेठा मुस्ताफिल तहसील व जिला आगरा का हूँ ।

जो कि एककित्त आराजी चाकै मौजा ककरेठा मुस्ताफिल तहसील व जिला आगरा जाता नम्बरी 53 बसरा नम्बर 185 रुबा 13 चित्वा व 186 रुबा 13 चित्वा व 187 रुबा 15 चित्वा व 190 रुबा रुब बीघा 18 चित्वा कुलकित्त चार कुल रुबा 3 बीघा 19 चित्वा

लगानी 7-20 पैते ताल का मैं बाघा पूर्णरूपेण मालिक का किये व दडील क्या जाता हूँ और प्रैत नाम फागवात सरकारी देहा में दर्ज क्या जाता है । अब मुज बाघा को आराजी मजकूरवाला कुल में से केवल 1/2 भाग का मैं कहेना स्वीकार हूँ । चायदाद मजकूरवाला विक्रीत आज तक हर तौर से करले व चार व चार्ले व इन्तकाल व देनदारी व जिम्मेदारियों व रहन व खे व खिच व सरकारी कमीन व स्प्यूटेविल मोरोज व स्प्यूवीशन व तमता प्रकार के दावे व लड़कों आदि से कतई मुहरा पाक व हाफ है ।

जगदीश उर्फ जगदीश वाटव पुत्र स्व० श्री आदिराम निवासी मौजा ककरेठा मुस्ताफिल तहसील व जिला आगरा का हूँ ।
 (Signature)
 जगदीश उर्फ जगदीश वाटव पुत्र स्व० श्री आदिराम निवासी मौजा ककरेठा मुस्ताफिल तहसील व जिला आगरा का हूँ ।



- 2 -

श्री - आरती और आरती शर्मा
 श्री - आरती शर्मा
 श्री - आरती शर्मा

जायदाद पानी आराजी सुवेया के विक्रय करने में तरासर जायदा मेरा है कि
 जितनी खरीदारा जैत सर्वाधिक कीमत अदा करके कुछ करना चाहती है ।

सिहाजा में बाया अपनी राजी व खुशी से खूब तोय व समझकर
 किला बहकाये व लिखाये व विला टबाब किसी नाजायब के त्वस्थचित्त
 मन बुद्धि व इन्द्रिय ठे व क्लाह व मगबिरा अपने परिवार जन व
 रिश्तेदारान व हिलेथियों के आराजी मज्जुरावाला कुल का केवल 1/2
 भाग मग गुडटाहटिल के व खज मुवलिग 14,000/- चाँदह हजार ख्यया कि
 आये जित्के 7,000/- सात हजार ख्यया होते हैं-बदस्ता श्रीमती गायत्री
 शर्मा पत्नी श्री महेश कुमार शर्मा निवाती 33 स्ल(आई)जी० कैलाशपुरी
 आगरा के वै कतई किय और बेव दिया । कीमत का कुल धन खरीदारा
 मौतूषा से मुह बाधा ने पहले ही घर पर चला गालिया अब कीमत में
 खरीदारा मौतूषा से कुछ पाना बाकी नहीं रहा ।



- 3 -

कच्चा व दूध से सुई पर जतई व धाड़ई उरीदारा मौजूक

वा करा दिता और सैला अपने जतई मासिक मुतकिल दना दिता

उरीदारा मौजूक जो पूर्णवेण मासिकाना अधिकतर है कि यह आराजी

सुईया ते चाहे सैते खंडिलक मासिकाना फासदा उजाहे उतों खुद फारत

करे या अमत करावे और उतते नाभान्वित डोंदे ।

उस - उरीदारा से कायदा के तहत
 10/11/19



आराजी मुवैया का आज तक का लगान जित कटर भी होगा मैं
 वाधा उदा करूंगा आज के बाद लगानहिस्ता रतदी बरीदारा माँसूना
 अटा करे । बरीदारा माँसूना अपने नाम का इन्द्रजा वाषास्ता कागजात
 सरकारी में बरिये पैनामा हाजा दर्ज कराले । मैं वाधा अपनी रजागन्दी
 दे दूंगा ।

- 4 -

आराजी मुवैया में कृषि ही हो रही है एवं केवल कृषि कार्य



- 5 -

देतु ही विक्रय की गई है ।

अगर सानी उक्तलाल कोई व्यक्ति या टाप्पेदार सौगी या जदानी
 जानूनी या वाभ्याती या दीगर कोई कर्जातदार किसी तरह का
 पैदा होकर टापा व गड़ा बरीदारा माँतूना ते पायत बायदाद मुक्या
 करे या किसी को कुछ रुपय अदा करनी पड़े या दैनाना हाजा में कोई
 जानूनी कसी पाई जाये तो उस कुछ ही जबाबदेही व जिम्मेदारी व कितने
 बात बात बायदाद मनकूला व गैर मनकूला व मु. वाया व धारिकान
 कायम मुकामान मु. पाया के है और आयन्दा होगी । इसमें कुछ उपर न
 होगा ।

आराजी मुक्या की बाजारी कीमत 16,000/- रुपय के बिल पर
 स्ताम्प केनाया हाजा अदा किया गया है ।

आराजी मुक्या के विक्रय करने हेतु लक्ष प्रार्थिकारी कार भूमि
 तीमारोपण कार महापालिका भवन आगरा के यहाँ से अन्तरण अनुदा
 नम्बरी 1120/ना.श्रु.ली/94 दिनांक 12-12-34 प्राप्त कर ली है य

SEE 30/11/85 } EL
2-1-85

बही नं. एक गि. नं. 3308 के पृष्ठ 11112 से नं. 16573
पर साज दिनांक 19-11-85 है. रबी खरी की गई

13/11
S.R.

